



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222032
CG-DL-E-26092020-222032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]
No. 478]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/ आश्विन 3, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 587(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 319(अ) दिनांक 05 मई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा, प्रधान सचिव (परिवहन एवं पत्तन), गृहविभाग, महाराष्ट्र सरकार के स्थान पर अपर मुख्य सचिव (परिवहन एवं पत्तन), गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार को दिनांक 31.03.2022 तक मुम्बई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एल बी-11013/1/2019-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2020

G.S.R. 587(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R.319(E) dated the 5th May, 2020, the Central Government hereby appoints Additional Chief Secretary (Transport and Port), Home Department, Government of Maharashtra in place of Principal Secretary (Transport and Port), Home Department, Government of Maharashtra as trustee in the Board of Trustees of the Mumbai Port Trust for the period up to 31.03.2022.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/1/2019-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.